

# कार्यालय नगर पंचायत मोतीपुर (मुजफ्फरपुर)

पत्रांक 589

दिनांक- 18/08/2018

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत मोतीपुर ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)  
बिहार (स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा पटना)

विषय -

नगर पंचायत मोतीपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 291/2016-17 के विभिन्न कड़िकाओं में उठाये गये अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण करने के संबंध में ।

प्रसंग -

पत्रांक-07/अंके० 291/2014.....399..... दिनांक 23.03.2017

महाराज,

उपर्युक्त विषयक निर्देशानुसार कार्यालय महालेखाकार (ले०प०) बिहार, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना से प्राप्त पत्र सं० 14617/318 दिनांक 30.11.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लेखाओं पर आधारित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० - 291/2016-17 के विभिन्न कड़िकाओं में उठाये गये अंकेक्षण आपत्तियों का विभिन्न कड़िकाओं के सामने साक्ष्य अंकित कर एवं बोर्ड की बैठक कर दिनांक 20.07.2018 के प्र०सं०-12 द्वारा अनुमोदित कराकर अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण हेतु सादर समर्पित ।

विश्वारागजन,

६०

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत मोतीपुर ।

पत्रांक 589

दिनांक 18/08/2018

प्रतिलिपि

सचिव

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को

सादर सूचनार्थ प्रेषित ।



कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत मोतीपुर

18/08/18 को कार्यालय के  
गैलरी से भेजा गया

# कार्यालय नगर पंचायत मोतीपुर (मुजफ्फरपुर)

पत्रांक 589

दिनांक-18/08/2018

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत मोतीपुर ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)  
बिहार (स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा पटना)

विषय :- नगर पंचायत मोतीपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 291/2016-17 के विभिन्न कड़िकाओं में उठाये गये अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण करने के संबंध में ।

प्रसंग :- पत्रांक-07/अंके0 291/2014.....399..... दिनांक 23.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निर्देशानुसार कार्यालय महालेखाकार (ले0प0) बिहार, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना से प्राप्त पत्र सं0 14617/318 दिनांक 30.11.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लेखाओं पर आधारित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 - 291/2016-17 के विभिन्न कड़िकाओं में उठाये गये अंकेक्षण आपत्तियों का विभिन्न कड़िकाओं के सामने साक्ष्य अंकित कर एवं बोर्ड की बैठक कर दिनांक 20.07.2018 के प्र0सं0-12 द्वारा अनुमोदित कराकर अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण हेतु सादर समर्पित ।

विश्वासभाजन,

६०

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत मोतीपुर ।

पत्रांक 589

दिनांक 18/08/2018

प्रतिलिपि : सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को

सादर सूचनार्थ प्रेषित ।



कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत मोतीपुर

18/8/18 को कार्यालय के  
मेला से मिला गया

# कार्यालय नगर पंचायत मोतीपुर (मुजफ्फरपुर)

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या -291/2016.17

भाग II (ख)

कडिका	अंकेक्षण आपति (टिप्पणी)	अंकेक्षण आपति अनुपालन हेतु साक्ष्य
01	02	03
कं0-01	परफौरमेस सिक्युरिटी की कम कटौती -रु 1.94 लाख एवं मिनी डम्फर की खरीदारी पर निष्फल व्यय राशि-रु0 16.40लाख	<p>I बिहार वित्त नियमावली बिहार धारा 131(0)एवं (पी0) का अनुपालन भविष्य में किया जायेगा । परफौरमेस सिक्युरिटी की राशि आपूर्ति कर्ता से वसूल कर ली जायेगी, खरिदी गई मिनी डम्फर की विपत्र का साक्ष्य हेतु छायाप्रति अंकेक्षण आपति के अनुपालन में समर्पित</p> <p>II मिनी डम्फर की लॉग बुक भविष्य में खोल लिया जायेगा ।वर्तमान में खरिदी गई डम्फर का सदुपयोग डोर टु डोर कचरा संग्रहन कार्य हेतु संबंधित एजेन्सी को एकरारनामा कर भाड़ा पर दिया गया है । जिसकी छायाप्रति अंकेक्षण आपति के अनुपालन में साक्ष्य हेतु समर्पित ।</p> <p><b>FORM PAGE - 01 TO 17</b></p>
कं0 02	योजना में अनियमित भुगतान रु0 -3.90लाख एवं वसूलनीय राशि 0.14लाख	<p>I त्रुटी सुधारते हुए योजना में संलग्न विपत्र एवं मास्टर रौल संबंधित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कर पारित करा लिया गया है । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में संलग्न विपत्र एवं मास्टर रौल की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित</p> <p>II त्रुटी को सुधारते हुए योजना संचिका में संलग्न मास्टर रौल पर 20 मजदुरों द्वारा मास्टर रौल पर हस्ताक्षर और अंगुठा का निशान करवा लिया गया है । अंकेक्षण आपति का अनुपालन में योजना में संलग्न मास्टर रौल की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित ।</p>

मुजफ्फरपुर नगर पंचायत  
मोतीपुर



III त्रुटी को सुधारते हुए योजना में संलग्न मास्टर रौल पर कनीय अभियंता अभिप्रमाणित करा लिया गया है । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में योजना में संलग्न मास्टर रौल की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित ।

IV त्रुटी को सुधारते हुए योजना में संलग्न मास्टर रौल पर संख्या अंकित कर दी गई है । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में योजना में संलग्न मास्टर रौल की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित ।


V योजना संचिका में संलग्न कार्यादेश के बिन्दु 2 का अनुपालन भविष्य में किया जायेगा ।

VI. योजना में संलग्न विपत्र संबंधित कर कटौती कर ली गई है । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में कर कटौती,लेबर शेष एवं रॉयल्टी कर कटौती की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित ।

VII. त्रुटी सुधारते हुए योजना में संलग्न मापी पुस्त को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित करा लिया गया है । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में मापी पुस्त की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित ।

VIII. त्रुटी सुधारते हुए योजना में प्रयुक्त सामग्री के आपूर्तिकर्ता को फार्म सी III. देने करने या वैट की राशि संबंधित शिर्ष में जमा करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया है, अंकेक्षण आपति के अनुपालन में नोटिस निर्गत की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित ।

FORM PAGE - 18 TO 32

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Hindi, including 'आयुक्त, दिल्ली' (Commissioner, Delhi) and 'आयुक्त, दिल्ली' (Commissioner, Delhi). The signature is written in a cursive style.

<p>कं0 03</p>	<p>योजना के संदिग्ध क्रियान्वयन एवं अधिक भुगतान की राशि रूपये 1.22 लाख</p>	<p>I आपति को सुधारते हुए एक ही समय में कार्यरत मजदुरों को दो भिन्न योजनाओं में दिखाये गये मजदुरों का पारिश्रमिक की राशि 16,212 (सोलह हजार दो सौ बारह) रूपये संबंधित शिर्ष में जमा करा दिया गया है अंकेक्षण आपति के अनुपालन में बैंक डिपोजिट फार्म की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित ।</p> <p>II त्रुटी को सुधारते हुए सादा पन्ना पर राजस्व टिकट लगवाकर भुगतान किया गया यह कार्य सेंन्ट्रीग और शटरी आदि अन्य कार्य से संबंधित है । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में योजना में संलग्न विपत्र की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित ।</p> <p>III.दोनों योजनाओं की जाँच की गई है । योजना में संलग्न मास्टर रोल पर मजदुरों के पिता का नाम चिन्हित कर अंकित कर दिया गया है । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में अधिक भुगतान की राशि 16,212 (सोलह हजार दो सौ बारह) रूपये संबंधित शिर्ष में जमा करा दिया गया है । साक्ष्य हेतु बैंक डिपोजिट की छायाप्रति समर्पित</p> <p><b>FORM PAGE - 33 TO 41</b></p>
<p>कं0 04</p>	<p>अंकेक्षण के दौड़ान जमा की गई राशि रूपये 0.12 लाख</p>	<p>लेखा परीक्षा के दौड़ान जमा की गई राशि 11,500 रूपये को दिनांक 17.05.2016 को बैंक में जमा करा दी गई है ।</p>
<p>कं0 05</p>	<p>बगैर सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के चार कर्मियों के वेतन का अग्रिम भुगतान किया जाना</p>	<p>सिविल अभियंता सचिन कुमार शुक्ला,लेखपाल एवं दो लिपिक का नियोजन विभाग द्वारा चयनित एंजेन्सी वाणी सिस्टम प्रा0लि0लखनउ के द्वारा अनुबंध पर 11 माह के लिए किया गया था । सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.01.2015 के प्रस्ताव सं0 02 के कडिका 09 के द्वारा सर्व-सम्मति से</p>

1

सचिव, अंकेक्षण विभाग  
लखनऊ

स्वीकृति कराने के पश्चात ही चार अनुबंध कर्मियों के वेतन का अग्रिम भुगतान हेतु डायरेक्टर बुडा को भेजा गया था । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.01.2015 में पारित प्रस्ताव की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित ।

**FORM PAGE - 42 TO 63**

कं0 06 दैनिक मजदुरी पर अप्राधिकृत व्यय राशि  
रु0 21.33लाख

कंडिका 06 में दर्शाये गये सभी दैनिक कर्मचारियों का सशक्त स्थायी समिति के बैठक दिनांक 21.01.2013 के प्रस्ताव सं0 04 के द्वारा स्वीकृति के पश्चात किया गया है । पारिश्रमिक का भुगतान आन्तरिक संसाधन से किया गया है । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित ।

**FORM PAGE - 64 TO 71**

कं0 07 वैट पर अनियमित भुगतान की राशि रु0  
2.84 लाख

कंडिका 07 में अंकेक्षण आपति के अनुपालन में योजना अभिकर्ता से फार्म सी III मॉग की गई है, एवं फार्म सी III नही देने पर वैट की राशि संबंधित शिर्ष में जमा करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया साक्ष्य हेतु छायाप्रति समर्पित ।

**FORM PAGE - 72**

कं0 08 होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि रु0  
14.54 लाख

होल्डिंग टैक्स की वसूली नगर पंचायत मोतीपुर में सेल्फ असेसमेन्ट के आधार पर मॉग तैयार की गई है ज्ञातव्य है कि इस कार्य के लिए कोई स्थायी कर्मी नही है । जिसके कारण मकान कर की वसूली कम दिखाई दे रही है । परन्तु विभाग के निर्देश के आलोक में दो कर संग्रहकर्ता को 4 प्रतिशत कमिशन पर बहाल कर बकाया राशि की वसूली की गई है । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में वसूल की गई मकान कर की रसिद की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित । आशा है कि आने वाले वित्तिय वर्ष में सभी मकान कर की


		<p>बकाया राशि वसूल कर ली जायेगी ।</p> <p><b>FORM PAGE - 73 TO 119</b></p>
कं0 09	संचार टावरों का पंजिकरण शुल्क एवं नवीकरण बकाया रू0 1.92 लाख	<p>संचार (मोबाईल) टावर कंपनियों से बकाया राशि में से लगभग मो0 1,24,000 रू0 की वसूली की गई है, बकाया राशि वसूली हेतु टैक्स दारोगा श्री परमानंद प्रसाद को जबाब देही दी गई है । आशा है कि आने वाले वित्तिय वर्ष तक सभी बकाया राशि की वसूली कर ली जायेगी मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण कर अगले लेखा परीक्षक दल को आवश्यक जॉच हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा । और पुनः नये सिरे से सर्वे कराकर मोबाईल टावर पर लगाये गये अतिरिक्त अनटिनाओं की सं0 अंकित कर ली जायेगी । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में टावर शुल्क वसूली की रसिद एवं चेक की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित ।</p> <p><b>FORM PAGE - 120 TO 123</b></p>
कं010	दुकानों का बकाया किराया रू0 11.78 लाख	<p>सभी दुकानदारों को नोटिश बकाया भाड़ा देने हेतु भेजी गई है । एवं सुरक्षित जमा राशि से सभी दुकानदारों का बकाया भाड़ा में समायोजित कर दी गई है । और बचे बकाया शेष किराया राशि की वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया गया है । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में नोटिश निर्गत एवं बकाया राशि वसूली से संबंधित साक्ष्य की छायाप्रति समर्पित ।</p> <p><b>FORM PAGE - 124 TO 168</b></p>
कं011	योजना की स्थिति	<p>सभी कुल 12 (बारह) अपूर्ण योजनाओं अग्रिम की राशि मो0 42,34,697 रू0 अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है । एवं योजना कार्य पूर्ण करा लिया गया है । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में मापी पुस्त और भुगतान से संबंधित आदेश फलक की छायाप्रति साक्ष्य हेतु समर्पित ।</p> <p><b>FORM PAGE - 169 TO 248</b></p>

सहायक आयुक्त  
बकाया वसूली

क012	बिना मापी पुस्त के राशि का भुगतान राशि रू0 3.72 लाख	<p>I. बिहार वित्त नियमावली एवं नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रवधान का अनुपालन अबसे किया जायेगा ।</p> <p>II. योजना कार्य पूर्ण करा ली गई है और मापी पुस्त प्राप्त कर अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है ।</p>
क013	विचलन राशि-रू0 14.78 लाख	विचलन की राशि - 14.78 लाख रू0 से नगर पंचायत मोतीपुर में विकास कार्यों पर खर्च की गई है । प्रधान सहायक विभुति शरण श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि विचलन की राशि की यथाशिघ्र बोर्ड से अनुमति लेकर प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी ।
क014	<p>प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची</p> <p>1, टिप्पणी</p> <p>2, टिप्पणी</p> <p>3, टिप्पणी</p> <p>4, टिप्पणी</p>	<p>1.सरकार अथवा अन्य स्रोतो से प्राप्त होने वाले अनुदान पंजी का संधारण बिहार नगर पालिका के नियमावली 1928 के नियम 141 के तहत अनुदान पंजी का संधारण का कार्य चल रहा है । अंकक्षण आपति के अनुपालन में उपर्युक्त नियमानुसार अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकक्षण दल के समक्ष आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।</p> <p>2, परीसम्पति का संधारण कर अगले अंकक्षण दल के समक्ष आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।</p> <p>3, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धार 86 तथा 88की प्रवधान के तहत वार्षिक लेखा पंजी का संधारण कर अगले अंकक्षण दल के समक्ष आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।</p> <p>4 बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 90 के प्रावधान के तहत वित्तिय विवरण एवं तुलन पत्र तैयार कर अगले अंकक्षण दल के समक्ष आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।</p>



		<p>5. पूर्ववत् लेखा तैयार कर लिया गया है । अंकेक्षण आपति के अनुपालन में लंबित कंडिकाओं के प्रतिवेदन को लेखा परीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा ।</p> <p>6. रिक्त पदों को भरने की दिशा में नियमाकुल सकारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं शिघ्र ही रिक्त पदों पर भर्ति कर फलाफल से लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत करा दी जायेगी ।</p> <p>7. नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 98 के तहत नगर पालिका लेखा समिति का गठन का साकारात्मक प्रयास किया जा रहा है । नगर पालिका लेखा समिति के गठन होते ही फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा ।</p>
6. टिप्पणी		
7 टिप्पणी		

  
 कार्यालय अधिकारी  
 नगर पंचायत सोनीपूर